कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

Phone/Fax No.07856-296310, email ID - itdpdwd@gmail.com

-: विज्ञापन :-

क्रमांक/ 720 /परि0प्रशा0/स्था0/भर्ती/2023-23, दन्तेवाड़ा, दिनांक 18 /07/2023,

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ-17-58/2014/25-2 रायपुर, दिनांक 13.12.2016 एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/टीएडीपी/फा-536/ 2016/9994, रायपुर, दिनांक 06.01.2017 के द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संविदा नियुक्ति के आधार पर 'परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, दंतेवाड़ा के लिए निम्नानुसार विज्ञापित पदों पर संविदा नियुक्ति किया जाना है।

अतः निम्न दर्शित पदों एवं उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणानुसार संविदा भर्ती संबंधी योग्यता सहित सेवानिवृत्त एवं फ्रेश वांछित अर्हताधारी इच्छुक अभ्यार्थियों से दिनांक 14/08/2023 को कार्यालयीन समयावधि तक सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण-पत्र सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	मासिक संविदा वेतन (एकमुश्त)	आरक्षण की स्थिति	अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	विषय विशेषज्ञ (कृषि/उद्यानिकी)	01	सेवानिवृत्ति दिनांक को प्राप्त होने वाली अंतिम वेतन के बराबर, पेंशन से प्राप्त आय को घटाते हुए	अनारक्षित	छ.ग.राज्य के संबंधित विभाग से उप संचालक अथवा समकक्ष पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हो
2	विषय विशेषज्ञ (ग्रामीण विकास)	01		अनारक्षित	
3	सहायक अभियंता	01		अनारक्षित	छ.ग.राज्य के संबंधित विभाग से समकक्ष पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हो
4	उप अभियंता	01	<u>सेवानिवृत्त के लिए</u> सेवानिवृत्ति दिनांक को प्राप्त होने वाली अंतिम वेतन के बराबर, पेंशन से प्राप्त आय को घटाकर **<u>फ्रेश अभ्यार्थियों के लिए</u>** 18900.00 (एकमुश्त)	अनारक्षित	(1) छ.ग.राज्य के संबंधित विभाग से समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हो। (2) सेवानिवृत्त आवेदकों से आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में फ्रेश अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः- सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

<u>संविदा नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें :-</u>

1. सूची में दर्शित उपरोक्त दर्शित पदों में से क्रमांक 01 से 03 तक दर्शित पदों की पूर्ति सेवानिवृत्त अधिकारी से किया जाना है। उक्त पद हेतु सूची के कॉलम नं.06 सेवानिवृत्त पात्र होंगे।
2. पद क्रमांक 04 में उल्लेखित पद सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाया गया है यदि उक्त पद हेतु सेवानिवृत्त द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो केवल उस आवेदन पर विचार एवं चयन की कार्यवाही की जावेगी यदि उक्त पद हेतु सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों से एक भी आवेदन अथवा पात्र आवेदन प्राप्त नही होने पर फ्रेश अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर चयन की कार्यवाही की जा सकेगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।

निरंतर...3..पर

Estt\latter

4. सेवानिवृत्त अधिकारी को छोड़कर शेष के लिए आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। अभ्यार्थी पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 में नियुक्ति के लिए अनर्हताएं लागू होगी।
5. आरक्षित वर्ग के आवेदक पत्र को जाति के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
7. आवेदक के द्वारा लिफाफों में आवेदित पद का नाम, श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नही दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन का प्रारूप www.dantewada.gov.in पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त नही होनें पर उसे अमान्य किया जा सकता है।
10. सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए आयु सीमा अधिकतम 64 वर्ष होगी। इसी प्रकार फ्रेश उम्मीदवार की आयु 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम होगी साथ ही छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष में, 05 वर्ष की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 05 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार की छूट सहित अधिकतम आयु सीमा में छूट 45 वर्ष से अधिक नही होगी ।
11. कार्यालय द्वारा पदवार जारी वरिष्ठता सूची में दर्शित अभ्यर्थियों में से प्रत्येक पद हेतु 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाकर चयन किया जा सकेगा।
12. प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
13. चयन उपरांत यदि कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
14. संविदा भर्ती में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश लागू होंगे।
15. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एक मुश्त राशि वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नही होगी।
16. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
17. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामलो को छोड़कर संविदा नियुक्त के अन्य मामलों में नियुक्ति के लिए अर्हताएं तथा पात्रता मापदण्ड वे ही होंगे, जैसे की छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है।

निरंतर...4..पर

18. सीधी भर्ती के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं अर्हताएं वही होगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है।

19. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता बंधन नही होगा।

20. सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का एच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जायेगा, गणना के अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जायेगा।

21. सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का अस्थाई शासकीय सेवक के समान अवकाश की पात्रता होगी।

22. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हे अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हे संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा जिसे स्वीकार करना उनके लिए बाध्यकारी होगा।

23. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार के सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन का 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में नियमित माहो में जमा करनी होगी तथा सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा योजना का वरण किया गया है। परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नही होगी।

24 संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्त के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा छ.ग. मूलभूत नियम के नियम 45-क, के अनुसार लाईसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी तथा उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।

25. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा। यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मुल्यांकन हो सके।

टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हता पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।

-: आवेदन के संबंध में दिशा-निर्देश :-

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूचियों की राजपत्रित अधिकारी/स्वप्रमाणित द्वारा सत्यापित छायाप्रति सहित प्रस्तुत किये जा सकेंगें। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे एवं पृष्ठ क्रमांक भी डाले। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम से ही व्यवस्थित कर (1.आवेदन पत्र 2.निवास प्रमाण-पत्र 3.रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र 4.जाति प्रमाण-पत्र 5.शैक्षणिक योग्यता 6.अन्य प्रमाण-पत्र) पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 14/08/2023 को संध्या 5.30 बजे** तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

आवेदन जमा करनें हेतु पता :-
कार्यालय परियोजना प्रशासक,
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

परियोजना प्रशासक
एकी.आदि.विकास परियोजना, दन्तेवाड़ा

निरंतर...5..पर

पृ.क्र./ 72 /परि0प्रशा0/स्था0/भर्ती/2023-24, दन्तेवाड़ा, दिनांक 18/07/2023

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) जिरो पाईन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक नं.4-डी, भूतल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर।
   को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर (भर्ती शाखा), जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा।
7. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दंतेवाड़ा।
   को जारी विज्ञापन की अतिरिक्त प्रति सहित सूचना पटल पर चस्पा किये जानें संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक संचालक, जन जम्पर्क विभाग, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा को सूचनार्थ। आप कृपया उक्त जारी विज्ञापन को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करानें का कष्ट करें।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं जारी विज्ञापन को जिले की वेबसाईट www.dantewada.gov.in में अपलोड करनें संबंधी कार्यवाही हेतु।
10. सूचना पटल में चस्पा हेतु।

परियोजना प्रशासक

एकी.आदि.विकास परियोजना, दन्तेवाड़ा

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

Estt\latter

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें

पद क्रमांक :– ....
आवेदित पद का नाम :– ....

नवीनतम पासपोर्ट फोटो स्वप्रमाणित

प्रति,

परियोजना प्रशासक,
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
पुराना कलेक्टोरेट कार्यालय दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

संदर्भ:– आपके विज्ञापन क्रमांक / /परि0प्रशा0/स्था0/भर्ती/2023–24, दन्तेवाड़ा, दिनांक / /2023

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. अ. जन्मतिथि अंको में : ....
   ब. शब्दों में : ....
4. दिनांक 01.01.2023 : वर्ष............माह............दिन............
5. लिंग : ....
6. जाति (वर्ग) : ....
7. (अ) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता : ....
   : ....
   : ....पिन नं.............
   (ब) स्थायी पता : ....
   : ....
   : ....पिन नं.............
   : मोबाईल नं.............................
8. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक : ....
   : ....
   (सत्यापित प्रति संलग्न करें) : ....
9. क्या अधिकतम आयु सीमा छूट चाहते है? यदि हो तो किसी श्रेणी से उल्लेख करें : ....
   : ....
10. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) : ....
   : ....
   : ....
11. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग का सदस्य है हां/नही (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण प्रत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) : ....
   : ....
   : ....

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

11. क्या आवेदक विकलांग है हां/नही (यदि हां तो विकलांग संबंधी जारी मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) : ....
: ....
: ....

12. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत : ....

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नही (यदि हां तो सक्षम प्रधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। : ....
: ....

14. क्या आवेदक विवाहित है हां/नही : ....

15. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि : ....

16. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि : ....

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

17.1 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत् है हां/नहीं, का विवरण दें। : ....

क्र0	संस्था का नाम	पदनाम	अवधि	कुल वर्ष	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

17.2 यदि आवेदक सेवानिवृत्ति अधिकारी है तो किस पद पर कार्यरत् थे : ....
: ....

17.3 सेवानिवृत्त कार्यालय का नाम एवं पूर्ण पता (आदेश प्रति संलग्न किया जाने) : ....
: ....

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

17.4 सेवानिवृत्त होने माह के कुल मासिक वेतन (अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर) : ....

17.5 सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मिलने मिलने वाले पेंषन की राशि(पीपीओ के आधार पर) : ....

17.6 सेवानिवृत्त पश्चात् मेडिकल फिटनेस का उल्लेख : ....

18. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध को : ....
अपराधिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

19. संलग्न प्रमाण प्रत्रों की सूची :– विज्ञापन में दिये क्रमानुसार

1.................................... 2....................................

3.................................... 4....................................

5.................................... 6....................................

7.................................... 8....................................

9.................................... 10....................................

11.................................... 12....................................

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नामः–..............................

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है तो उम्मीदवारी/नियुक्ति किये जाने योग्य नही होगी और मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नामः–..............................

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार